"बिना स पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-1-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 31] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 4 अगस्त 2006—श्रावण 13, शक 1928

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 24 जुलाई 2006

क्रमांक ई-1-02/2006/एक/2.—श्री एस. के. केहरि, भा. प्र. से. (1992), विशेष सचिव, राजस्व विभाग एवं अपर आयुक्त, भू अभिलेख को उनके वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक संचालक, भू-अभिलेख एवं संचालक, शासकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री (मुद्रणालय) का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. बगाई, मुख्य सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2006.

रायपुर, दिनांक 21 जुलाई 2006

क्रमांक ई-01-02/2006/एक/2.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 12-7-2006 द्वारा सुश्री अलरमेलमंगई डी., भा.प्र.से. (2004) को लाल बहादुर शास्त्री, राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में द्वितीय दौर के प्रशिक्षण की समाप्ति पर अनुविभागीय अधिकारी, जगदलपुर के पद पर पदस्थ किया गया था. उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए, सुश्री अलरमेलमंगई डी., भा.प्र.से. (2004) को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक अनुविभागीय अधिकारी, कोंडागांव, जिला-बस्तर के पद पर पदस्थ किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जवाहर श्रीवास्तव, सचिव.

रायपुर, दिनांक 21 जुलाई 2006

क्रमांक ई-7/20/2004/1/2.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 25-5-2006 द्वारा श्री आर. सी. सिन्हा, भा.प्र.से., तत्का. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग को दिनांक 1-6-2006 से 30-6-2006 तक (30 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था. इसी अनुक्रम में श्री सिन्हा, भा.प्र.से. को दिनांक 1-7-2006 से 27-7-2006 (27 दिवस) का और अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री सिन्हा, भा.प्र.से. आगामी आदेश तक सदस्य, राजस्व मण्डल, बिलासपुर के पद पर पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री सिन्हा को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री सिन्हा, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 25 जुलाई 2006

क्रमांक ई-7/11/2003/1/2.—श्री एस. के. बेहार, भा.प्र.से., संचालक, उद्योग, रायपुर को दिनांक 27-6-2006 से 1-7-200[illegible]6 (5 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 2 जुलाई, 2006 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनु[illegible]मति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री बेहार, आगामी आदेश तक संचालक, उद्योग, रायपुर के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री बेहार को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री बेहार, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. बाजपेयी, अवर सचिव.

गृह (सामान्य) विभाग
(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 20 जुलाई 2006

संशोधन

क्रमांक एफ-9-22/दो/गृह/06.—इस विभाग द्वारा जारी अधिसूचना समसंख्यक पत्र क्रमांक दिनांक 7-6-2006 द्वारा ''लेखा-(प्रथम बिना पुस्तकों के) द्वितीय प्रश्नपत्र (पुस्तकों सहित) विषय के परीक्षा केन्द्र रायपुर के सरल क्रमांक 09 पर श्रीमती जयश्री पटेल, डिप्टी कलेक्टर के स्थान पर'' श्रीमती जयश्री जैन, डिप्टी कलेक्टर पढ़ा जावे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. आर. दिव्य, उप-सचिव.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 7 जुलाई 2006

क्रमांक एफ-20-95/04/11/(6).—राज्य शासन एतद्द्वारा औद्योगिक नीति 2004-09 में अपात्र उद्योगों की सूची परिशिष्ट क्रमांक-2 के बिन्दु क्रमांक-1 ''आईस फैक्ट्री, आईसक्रीम, आईस केन्डी, आईस फ्रुट बनाना'' के स्थान पर निम्न प्रतिस्थापित किया जाता है :—''बिन्दु क्रमांक-1-आईस. फैक्ट्री, आईस्क्रीम, आईस केन्डी, आईस फ्रुट बनाना'' (ब्रांडेड उत्पाद भारत सरकार से खाद्य प्रसंस्करण के अंतर्गत अनुदान/सहायता प्राप्त उद्योगों को छोड़कर) अपात्र उद्योगों की शेष सूची पूर्ववत् रहेगी.

2. यह अधिसूचना जारी दिनांक से प्रभावशील मानी जाएगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विनोद गुप्ता, विशेष सचिव.

रायपुर, दिनांक 21 जुलाई 2006

क्रमांक एफ 8-3/2006/11/6.—इंडियन बायलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा मेसर्स भारत एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड, कोरबा के बायलर क्रमांक-सी.जी./98 को निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 (सी) के उपबंधों के प्रवर्तन से दिनांक 26-6-2006 से 24-9-2006 तक की छूट प्रदान करता है :—

(1) संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बायलर अधिनियम, 1923 की धारा 18 (1) की अपेक्षानुसार तत्काल बायलर निरीक्षक/मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र छत्तीसगढ़ को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

(2) उक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार मुख्य निरीक्षक वाष्पयंत्र छत्तीसगढ़ के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

(3) संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि वह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.

(4) नियतकालीन सफाई और नियमित रूप से गैस निकालने (रेगुलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

(5) छत्तीसगढ़ बायलर निरीक्षण नियम, 1966 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क देय होने पर अग्रिम दी जावेगी, एवं

(6) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापिस ले सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शंकरराव ब्राहम्णे, उप-सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 24 अप्रैल 2006

क्रमांक 6 / अ-82/03-04.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	तखतपुर	बहुरता	0.23	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग संभाग क्र.-1, बिलासपुर.	तखतपुर बेलपान सड़क निर्माण

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कामशील, कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव

बिलासपुर, दिनांक 20 जुलाई 2006

क्रमांक 66 / अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर/एकड़ में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मुंगेली	भुसण्डी प.ह.नं. 23	21.94	कार्यपालन अभियंता, मनियारी जल संसाधन संभाग, मुंगेली.	जल संसाधन उप संभाग मुंगेली तोताकापा रहन नाला फॉडर परिवर्तन योजना के नहर क्षेत्र.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, मुंगेली के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 20 जुलाई 2006

क्रमांक 67 / अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर/एकड़ में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मुंगेली	पचोटिया प.ह.नं. 23	12.34	कार्यपालन अभियंता, मनियारी जल संसाधन संभाग, मुंगेली.	जल संसाधन उप संभाग मुंगेली तोताकापा रहन नाला फॉडर परिवर्तन योजना के नहर क्षेत्र

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, मुंगेली के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 20 जुलाई 2006

क्रमांक 68 / अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर/एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मुंगेली	कोसमा प.ह.नं. 24	5.20	कार्यपालन अभियंता, मनियारी जल संसाधन संभाग, मुंगेली.	जल संसाधन उप संभाग मुंगेली तोताकापा रहन नाला फीडर परिवर्तन योजना के नहर क्षेत्र.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, मुंगेली के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव द्विवेदी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कबीरधाम छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कबीरधाम, दिनांक 30 सितम्बर 2005

भू-अर्जन प्र. क्र. 1 अ-82/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	पंडरिया	भगतपुर	0.902	कार्यपालन यंत्री, परियोजना कियान्वयन इकाई (प्र.मं.ग्रा. स.यो.) कबीरधाम.	प्र. मं. ग्रा. स. यो. भगतपुर से सैहामालगी सड़क निर्माण सार्वजनिक प्रयोजनार्थ.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पंडरिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 30 सितम्बर 2005

भू-अर्जन प्र. क्र. 2 अ-82/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	पंडरिया	मोहतराकला	0.611	कार्यपालन यंत्री, परियोजना कियान्वयन इकाई (प्र.मं.ग्रा. स.यो.) कबीरधाम.	प्र. मं. ग्रा. स. यो. भगतपुर से सैहामालगी सड़क निर्माण सार्वजनिक प्रयोजनार्थ.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पंडरिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 30 सितम्बर 2005

भू-अर्जन प्र. क्र. 3 अ-82/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	पंडरिया	सैहामालगी	0.226	कार्यपालन यंत्री, परियोजना कियान्वयन इकाई (प्र.मं.ग्रा. स.यो.) कबीरधाम.	प्र. मं. ग्रा. स. यो. भगतपुर से सैहामालगी सड़क निर्माण सार्वजनिक प्रयोजनार्थ.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पंडरिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एल. तिवारी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कबीरधाम, दिनांक 17 जुलाई 2006

प्र. क्र. 31 अ 82/05-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	कवर्धा	सरोधी प.ह.नं. 45	0.733	कार्यपालन अभियंता, सुतियापाट परियोजना संभाग, सहसपुर लोहारा जिला-कबीरधाम.	सुतियापाट मध्यम परियोजना निर्माण में पुनर्वसाहट के पहुंच मार्ग हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 17 जुलाई 2006

प्र. क्र. 32 अ 82/05-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	कवर्धा	केजादाह प.ह.नं. 51	7.330	कार्यपालन अभियंता, सुतियापाट परियोजना संभाग, सहसपुर लोहारा जिला-कबीरधाम.	सुतियापाट परियोजना के अंतर्गत उलट नहर हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 17 जुलाई 2006

प्र. क्र. 33 अ 82/05-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	कवर्धा	जंगलपुर प.ह.नं. 58	3.418	कार्यपालन अभियंता, सुतियापाट परियोजना संभाग, सहसपुर लोहारा जिला-कबीरधाम.	सुतियापाट मध्यम परियोजना अंतर्गत बरगांव शाखा नहर-नाली निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 17 जुलाई 2006

प्र. क्र. 34 अ 82/05-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	कवर्धा	भांदूटोला प.ह.नं. 50	1.128	कार्यपालन अभियंता, सुतियापाट परियोजना संभाग, सहसपुर लोहारा जिला-कबीरधाम.	करांनाला बैराज परियोजना के अंतर्गत मुख्य नहर निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 17 जुलाई 2006

प्र. क्र. 35 अ 82/05-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	कवर्धा	रानीदहरा प.ह.नं. 49	27.940	कार्यपालन अभियंता, सुतियापाट परियोजना संभाग, सहसपुर लोहारा जिला-कबीरधाम.	करांनाला बैराज योजना निर्माण एवं डुबान हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 17 जुलाई 2006

प्र. क्र. 36 अ 82/05-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	कवर्धा	कनवाटोला प.ह.नं. 49	25.951	कार्यपालन अभियंता, सुतियापाट परियोजना संभाग, सहसपुर लोहारा जिला-कबीरधाम.	करां नाला बैराज योजना निर्माण एवं डुबान हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 17 जुलाई 2006

प्र. क्र. 37 अ-82/05-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	कवर्धा	मोतिमपुर प.ह.नं. 49	60.952	कार्यपालन अभियंता, सुतियापाट परियोजना संभाग, सहसपुर लोहारा जिला-कबीरधाम.	करांनाला बैराज योजना के अंतर्गत बांध निर्माण, डूब क्षेत्र गार्डबंड एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 17 जुलाई 2006

प्र. क्र. 38 अ 82/05-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	कवर्धा	मड़मड़ा प.ह.नं. 4	2.242	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन मनियारी संभाग, मुंगेली जिला-बिलासपुर.	घोघरा व्यपवर्तन के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनमणि बोरा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 14 जुलाई 2006

प्रकरण क्रमांक 5/अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-बिलासपुर

(ख) तहसील-बिलासपुर

(ग) नगर/ग्राम-दोमुहानी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.24 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	60	0.03
	412	0.21
योग	2	0.24

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बिलासपुर व्यपवर्तन योजना नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलासपुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव द्विवेदी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 6 जुलाई 2006

क्रमांक क/भू-अर्जन/2 अ/82 वर्ष 2005-2006.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायपुर

(ख) तहसील-पलारी

(ग) नगर/ग्राम-बोहारडीह, प. ह. नं. 15

(घ) लगभग क्षेत्रफल-8.153 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
380	0.130
382/3	0.053
213	0.210
348/1	0.156
375/1	0.227
216/5	0.112
382/2	0.053
370/1	0.085
368	0.123
369	0.085
282/36	0.194
371	0.210
214	0.405
373/3	0.080
381	1.374
370/2	0.307
210/1	0.303
374	0.121
219/2	1.197
373/1	0.352
372	0.105

(1)	(2)
373/2	0.242
211/1	0.262
216/1	0.255
382/1	0.360
215/1	0.367
383/1	0.060
365/2	0.010
282/37	0.194
216/6.	0.113
211/7	0.202
211/6	0.206
योग 32	8.153

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- राजीव संवर्धन (समोदा व्यपवर्तन) योजना द्वितीय चरण के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बलौदाबाजार के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 6 जुलाई 2006

क्रमांक क/भू-अर्जन/4 अ/82 वर्ष 2005-2006.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायपुर

(ख) तहसील-पलारी

(ग) नगर/ग्राम-साहंड़ा, प. ह. नं. 14

(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.290 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
174/2	0.012
176/10	0.506
176/1, 176/21	0.348
176/7	0.303
176/13	0.909
176/6	0.533
174/1	0.012
175	0.518
176/3	0.101
290/3	0.048
योग 11	3.290

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- राजीव संवर्धन (समोदा व्यपवर्तन) योजना द्वितीय चरण के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बलौदाबाजार के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 6 जुलाई 2006

क्रमांक क/भू-अर्जन/5 अ/82 वर्ष 2005-2006.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायपुर

(ख) तहसील-पलारी

(ग) नगर/ग्राम-लटेरा, प. ह. नं. 14

(घ) लगभग क्षेत्रफल-16.338 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
176	0.894

(1)	(2)
243/1	0.372
205/2	0.417
206/1	0.460
330/1	0.176
331/3	0.102
44/2	0.263
330/2	0.442
332/2	0.490
41/2	0.302
41/1	0.404
245/2	0.292
244	0.120
205/3	0.272
206/2	0.404
45	0.135
208	0.820
332/5-6	0.870
202/3	0.049
177/1	0.097
177/3	0.202
177/5	0.166
69	0.510
46/4	0.080
42	0.263
43/3	0.060
331/1	0.178
343/3	0.303
46/3	0.080
68/1	0.240
43/2	0.010
322	0.080
177/2	0.202
177/4	0.125
332/4	0.247
202/2	0.056
46/1	0.244
68/2	0.364
323/4	0.174
323/2	0.290
46/2	0.080
202/1	0.060
323/5	0.164
48/2	0.240
246	0.235
47	0.008
2/6	0.495
2/7	0.020
329/1	0.400
329/2	0.302
331/2	0.132
324	0.120
174/1	0.060
323/3	0.223
205/1	0.650
247	0.252
245/1	0.473
2/5	0.256
243/2	0.303
72/1	0.610
योग 60	16.338

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- राजीव संवर्धन (समोदा व्यपवर्तन) योजना द्वितीय चरण के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बलौदाबाजार के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 6 जुलाई 2006

क्रमांक क/भू-अर्जन/6 अ/82 वर्ष 2005-2006.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-पलारी
- (ग) नगर/ग्राम-कुंची, प. ह. नं. 15
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-10.514 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
6	2.240
57	0.425
59/2	0.135
74	0.210
85/4	0.259
72/1, 73	0.329
70	0.080
5	0.990
72/2	0.165
7/1	0.401
72/2	0.165
75/1, 75/3	0.062
85/1, 3, 5	0.235
85/2	0.180
58	1.240
59/1	0.156
76/1	0.160
76/3	0.352
76/2	0.055
77/1	0.121
77/2, 77/3	0.243
77/4	0.247
77/5	0.350
80	0.471
81/1	0.090
81/2	0.333
81/3	0.080
82	0.142
83	0.135
84	0.202
86/1	0.270
योग 34	10.514

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- राजीव संवर्धन (समोदा व्यपवर्तन) योजना द्वितीय चरण के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बलौदाबाजार के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 6 जुलाई 2006

क्रमांक क/भू-अर्जन/7 अ/82 वर्ष 2005-2006.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला रायपुर

(ख) तहसील-पलारी

(ग) नगर/ग्राम- हरिनभट्ठा, प. ह. नं. 15

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 5.318 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1027/1	0.109
1024/27	0.303
1024/28	0.303
1024/23	0.303
1024/26	0.303
1024/38	0.202
1024/35	0.202
1024/24	0.303
1024/29	0.303
1024/31	0.202
1026/1	0.109
1026/2	0.113
1027/2	0.093
1024/36	0.202
1025	0.283
1024/34	0.202
1024/33	0.202
1024/32	0.202
1024/37	0.202
1024/30	0.202
1024/25	0.303
1024/22	0.303
1028/2	0.040
1028/1	0.202

(1)	(2)
1028/3	0.107
1027/3	0.020
योग 26	5.318

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- राजीव संवर्धन (समोदा व्यपवर्तन) योजना द्वितीय चरण के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बलौदाबाजार के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 6 जुलाई 2006

क्रमांक/क./वा./भू. अ./अ. वि. अ./प्र. क्र./9/ अ-82/वर्ष 2005-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-तिल्दा
- (ग) नगर/ग्राम-तिल्दा, प. ह. नं. 7
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.808 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
191/8	0.053
191/9	0.004
112/1	0.405
47	0.053
53	0.109
48	0.004
49	0.048
50, 51	0.356
52	0.040
56	0.069
63	0.040
57/1	0.089
58	0.053
62	0.097
61	0.073
65	0.247
59	0.028
योग 18	1.808

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-भाटापारा शाखा नहर के गुजरा नहर के अन्तर्गत गुजरा माइनर नं. 1 निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 6 जुलाई 2006

क्रमांक/क./वा./भू. अ./अ. वि. अ./प्र. क्र./12/अ-82/वर्ष 2005-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-तिल्दा
- (ग) नगर/ग्राम-परसदा, प. ह. नं. 8
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.518 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
668/1	0.113

(1)	(2)
668/2	0.077
669/1	0.125
669/3	0.150
647/8	0.053
योग 5	0.518

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-भाटापारा शाखा नहर के गुजरा नहर के अन्तर्गत गुजरा माइनर नं. 1 निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 6 जुलाई 2006

क्रमांक/क./वा./भू. अ./अ. वि. अ./प्र. क्र./13/अ-82/वर्ष 2005-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-तिल्दा
- (ग) नगर/ग्राम-भुरसुदा, प. ह. नं. 8
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.392 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
307/4	0.028
307/1	0.024
375/8	0.125
308/1	0.085
308/2	0.041
318/1	0.028
318/2	0.12
318/3	0.065
307/5	0.020
318/6	0.057
317	0.105
315	0.065
368/2	0.041
368/3	0.024
368/4	0.012
368/5	0.020
369/2	0.045
361/5	0.032
361/6	0.073
361/7	0.008
361/12	0.053
361/16	0.061
361/13	0.036
361/14	0.073
371	0.045
370	0.202
374/2	0.036
374/1	0.012
योग 28	1.392

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-भाटापारा शाखा नहर के गुजरा नहर के अन्तर्गत गुजरा माइनर नं. 2 निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुबोध कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

कबीरधाम, दिनांक 17 जुलाई 2006

प्रकरण क्रमांक 3 अ 82/04-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-कबीरधाम
(ख) तहसील-कवर्धा
(ग) नगर/ग्राम-अचानकपुर, प. ह. नं. 41
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.202 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	284/2	0.089
	283/2	0.113
योग		0.202

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- गांगीबहरा व्यपवर्तन के अंतर्गत नहर नाली.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 17 जुलाई 2006

प्रकरण क्रमांक 15 अ 82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-कबीरधाम
(ख) तहसील-कवर्धा
(ग) नगर/ग्राम-टाटीकसा, प. ह. नं. 62
(घ) लगभग क्षेत्रफल-5.185 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	250	0.049
	352	0.036
	249	0.121
	355	0.053
	246/2	0.219
	238	0.506
	243	0.166
	244	0.085
	237	0.725
	236	0.109
	305/1	0.332
	305/2	0.510
	309	0.194
	314/2	0.174
	314/5	0.150
	314/6	0.308
	314/7	0.231
	334/1	0.182
	335	0.247
	336	0.008
	354	0.125
	346	0.032
	345	0.214
	339/2	0.040
	344	0.223
	353	0.146
योग	26	5.185

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-नवागाँव व्यपवर्तन योजना के पार एवं नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 17 जुलाई 2006

प्रकरण क्रमांक 16 अ 82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कबीरधाम
- (ख) तहसील-कवर्धा
- (ग) नगर/ग्राम-मोहगांव, प. ह. नं. 59
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.681 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
5	0.121
25	0.184
27/1	0.340
24/11	0.060
24/12	0.004
31/1	0.016
31/4	0.016
33/1	0.081
68/1	0.004
68/3	0.004
33/2	0.032
34/1	0.034
34/4	0.034
73/2	0.004
73/3	0.004
74/1	0.020
74/4	0.024
74/2	0.016
69	0.052
67/1	0.048
67/3	0.049
139	0.162
140	0.008
149	0.364
योग 24	1.681

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- सुतियापाट परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 17 जुलाई 2006

प्रकरण क्रमांक 17 अ 82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कबीरधाम
- (ख) तहसील-कवर्धा
- (ग) नगर/ग्राम-बिड़ोरा, प. ह. नं. 57
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.320 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
163/3	0.008
163/4	0.004
177/1	0.040
177/2	0.020
174	0.012
178/1	0.004
176	0.016
175	0.061
184/1	0.016
180/4	0.028

(1)	(2)
181	0.101
185	0.008
182	0.040
184/2	0.024
202/1	0.028
203/3	0.004
203/4	0.218
203/1	0.012
226/1	0.008
226/2	0.049
227/2	0.028
201/2	0.049
201/4	0.028
229/1	0.020
229/2	0.016
229/12	0.012
230/2	0.105
230/5	0.016
237/1	0.008
230/3	0.020
230/4	0.028
235/2	0.020
235/1	0.020
236/1	0.020
236/2	0.020
238/9	0.004
239/1	0.016
235/3	0.024
241/1	0.069
242/1	0.032
242/2	0.032
201/9	0.032
योग 42	1.320

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- सुतियापाट परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कवर्धा के न्यायाँलय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 17 जुलाई 2006

प्रकरण क्रमांक 18 अ 82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कबीरधाम
- (ख) तहसील-कवर्धा
- (ग) नगर/ग्राम-बिड़ोरा, प. ह. नं. 57
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.983 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
160/3	0.049
163/2	0.061
163/1	0.081
164	0.073
167	0.105
168/3	0.125
168/7	0.158
168/5	0.137
168/1	0.081
168/4	0.081
163/4	0.032
योग 11	0.983

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- सुतियापाट परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 17 जुलाई 2006

प्रकरण क्रमांक 19 अ 82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कबीरधाम
- (ख) तहसील-कवर्धा
- (ग) नगर/ग्राम-नरोधी, प. ह. नं. 57
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.330 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	200/3	0125
	201	0.477
	207	0.085
	209	0.206
	210/1	0.113
	210/4	0.004
	250	0.069
	253/1	0.138
	256	0.004
	202/2	0.109
योग	10	1.330

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- सुतियापाट परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 17 जुलाई 2006

प्रकरण क्रमांक 20 अ 82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कबीरधाम
- (ख) तहसील-कवर्धा
- (ग) नगर/ग्राम-बरगांव, प. ह. नं. 59
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.390 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
56/2	0.025
56/4	0.020
54/1	0.012
54/3	0.004
54/4	0.004
73/1	0.041
73/4	0.028
55/1	0.012
55/3	0.008
49/2	0.032
53/1	0.028
48/2	0.040
53/2	0.016
53/3	0.004
47/1	0.008
47/7	0.008
49/3	0.016
81/1	0.024
81/5	0.024
82/2	0.008
82/7	0.016

(1)	(2)
82/3	0.012
योग 22	0.390

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- सुतियापाट परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 17 जुलाई 2006

प्रकरण क्रमांक 21 अ 82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कबीरधाम
- (ख) तहसील-कवर्धा
- (ग) नगर/ग्राम-भगवताटोला, प. ह. नं. 59
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.322 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
49/15	0.093
49/9	0.073
49/3	0.077
49/6	0.081
62	0.197
49/12	0.081
45/1	0.036
45/2	0.045
45/3	0.040
45/4	0.089
45/5	0.110
46/1	0.056
61/1	0.194
63	0.150
योग 14	1.322

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- सुतियापाट परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 17 जुलाई 2006

प्रकरण क्रमांक 24 अ 82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कबीरधाम
- (ख) तहसील-कवर्धा
- (ग) नगर/ग्राम-बबई, प. ह. नं. 57
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-5.351 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
237/2	0.194
254/2	0.100
296/2	0.093
237/3	0.028
254/3	0.057
237/1	0.077
237/5	0.117
237/4	0.004
239	0.142

(1)	(2)	(1)	(2)
281/12, 282/4	0.020	207	0.077
240/1	0.065	206	0.134
240/2	0.024	208	0.142
376/1	0.024	181	0.049
376/2	0.028	179	0.121
243/2	0.028	180/2	0.006
244/2	0.040	178	0.057
375	0.036	175/2	0.085
363	0.036	177/2	0.004
245	0.081	176/2	0.101
362	0.061	176/4	0.004
361	0.045	176/5	0.004
248	0.093	173/2	0.036
253	0.057	176/7	0.016
295	0.049	176/3	0.016
264/1	0.073	175/1	0.032
293/1	0.040	500/1	0.166
293/3	0.020	505/3	0.028
293/6	0.028	174/1	0.012
293/7	0.036	174/2	0.024
265/2	0.024	498/1	0.016
266	0.028	500/2	0.097
281/3	0.020	142/2	0.044
281/7	0.028	172/2	0.069
281/6	0.020	172/1	0.114
281/1	0.024	171/1	0.101
281/4	0.024	147/2	0.101
281/5	0.040	170	0.008
269/1	0.028	169	0.267
173/1	0.036	168/4	0.150
269/2	0.024	168/3	0.040
269/3	0.024	167/1	0.073
270/1	0.020	166	0.024
270/2	0.020	490/4	0.020
280/1	0.024	490/6	0.067
280/3	0.024	500/3	0.113
280/2	0.040	499/1	0.089
141/6	0.081	499/3	0.150
202	0.020	505/2	0.101
205	0.065		

(1)	(2)
505/1	0.283
योग 89	5.351

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- सुतियापाट परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 17 जुलाई 2006

प्रकरण क्रमांक 25 अ 82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कबीरधाम
- (ख) तहसील-कवर्धा
- (ग) नगर/ग्राम-बीजाबैरागी, प. ह. नं. 58
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.973 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
272/2	0.012
272/7	0.194
272/4	0.089
272/6	0.109
272/11	0.052
272/3	0.069
272/5	0.093
273/1	0.048
335/3	0.008
273/3	0.093
275	0.190
276	0.320
277	0.004
278	0.125
279/1	0.137
279/2	0.093
291/7	0.097
291/18	0.089
291/19	0.008
291/29	0.057
292/3	0.109
292/1	0.142
292/4	0.008
292/5	0.008
292/6	0.128
312	0.089
315	0.299
334/2	0.077
316/5	0.045
328/18	0.065
328/6	0.077
328/21	0.069
334/10	0.170
334/11	0.108
334/1	0.128
335/6	0.052
336/1	0.097
336/2	0.097
345/5	0.028
345/3	0.153
345/1	0.004
342	0.109
343	0.020
345/4	0.004
योग 44	3.973

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- सुतियापाट परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 18 जुलाई 2006

रा. प्र. क्र. 5 अ 82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित 1984) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-कबीरधाम (छ. ग.)

(ख) तहसील-पण्डरिया

(ग) नगर/ग्राम-सनकपाट, प. ह. नं. 05

(घ) लगभग क्षेत्रफल-26.690 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1/1, 1/5	1.011
1/6	0.995
1/2	0.324
1/4	1.457
1/3	1.655
2/1	0.138
2/2	0.249
2/5	0.243
2/10	0.660
2/16	0.210
2/20	0.567
2/22	0.166
2/3	0.081
2/6	0.081
2/12	0.024
2/17	0.097
3/14	0.004
3/2	0.162
3/4	0.930
3/5	0.182
3/6, 3/7	1.214
3/16	0.109
3/8	0.295
3/9, 3/10	0.651
3/11, 3/12, 3/13	0.449
11/2	0.696
4	2.699
5	0.061
9	1.069
10/3	1.513
10/5	0.093
2/21	0.421
2/4	0.081
2/8	0.077
2/13	0.049
2/14	0.049
2/18	0.440
2/7	0.077
2/9	0.121
2/11	0.081
2/15	0.251
2/19	0.259
2/23	0.032
3/1	0.133
3/3	0.648
3/14	0.004
10/6	0.101
10/4	0.089
10/7	0.101
10/9	0.101
11/1,12	0.109
14/1	0.445
14/2	0.304
18/1	0.049
19	3.659
21/1, 21/3	0.582
21/2	0.121
21/4	0.097
21/5, 21/6	0.028
21/7	0.283
योग 58	26.690

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मोहपाट जलाशय योजना के शीर्ष कार्य के एफलक्स बंड एवं डुबान क्षेत्र के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पंडरिया के कार्यालय में किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 18 जुलाई 2006

रा. प्र. क्र. 6 अ 82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित 1984) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-कबीरधाम (छ. ग.)

(ख) तहसील-पण्डरिया

(ग) नगर/ग्राम-झिंगराडोंगरी, प. ह. नं. 05

(घ) लगभग क्षेत्रफल-21.121 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
140/1	0.008
176/2 ग, 177/3	0.158
178/1	0.263
178/2, 178/3	0.243
221	0.049
231	0.210
142/1	0.040
150/1	0.065
171/1	0.721
171/2	0.721
176/1, 178/4, 226, 227/2	2.865
176/2 क, 177/1	0.134
176/2 ख, 177/2	0.450
179/1	0.202
179/2	0.182
180	0.502
188, 192	0.753
204/1	0.809
211/1	0.146
189/1, 191/1	0.445
189/2, 191/2	0.073
195	0.356
201/2	0.008
202, 203	0.425
204/2	0.636
211/2	0.053
206	0.045
207	0.053
208	0.040
209	0.817
210/1	0.142
210/2	1.002
205	0.040
181/1	0.543
182/1	3.237
182/2	0.692
184	0.644
185/1	0.384
185/2	0.304
187	0.591
186	0.518
217	0.081
218/2	0.053
218/1	0.142
219/2	0.316
219/3	0.202
229/4	0.142
222	0.227
230/1, 230/2	0.384
योग 49	21.121

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मोहपाढ जलाशय योजना के शीर्ष कार्य के एफलक्स बंड एवं डुबान क्षेत्र के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पंडरिया के कार्यालय में किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 18 जुलाई 2006

रा. प्र. क्र. 7 अ 82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित 1984) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कबीरधाम (छ. ग.)
- (ख) तहसील-पण्डरिया
- (ग) नगर/ग्राम-भोयटोला, प. ह. नं. 03
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-7.125 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
174	0.886
175/1	0.437
175/3, 176/2	0.809
183/2	0.405
175/2, 176/1, 176/3	0.809
183/4	0.491
183/6	0.077
182	0.324
183/1	0.963
183/5	0.957
183/3	0.967
योग 11	7.125

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मोहपाढ जलाशय योजना के शीर्ष कार्य के एफलक्स बंड एवं डुबान क्षेत्र के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पंडरिया के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनमणि बोरा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 25 जुलाई 2006

क्रमांक 5600/भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-छुईखदान
- (ग) नगर/ग्राम-बरबसपुर, प. ह. नं.-11
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-6.12 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
71/3	0.23
120/1	0.38
123/5	0.07
148/2	0.27
132/1	0.39
77	0.44
120/2	0.16
123/6	0.26
145	0.38
131	0.10
75	0.48
120/3	0.20
124/2	0.09
144	0.45
76	0.16
120/4	0.28
148/1	1.16

(1)	(2)
127	0.54
योग	6.12

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- सुतियापाट परियोजना के अंतर्गत पेंडरवानी माइनर/आर. बी. सी. निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 25 जुलाई 2006

क्रमांक 5601/भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-छुईखदान
- (ग) नगर/ग्राम-चिलगुड़ा, प. ह. नं.-11
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-11.85 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
81/2	0.42
82/2	0.09
83/7	0.04
124/3	0.58
123	0.04
120	0.36
145/8	0.21
524/3	0.30
524/4	0.01
519	0.15
555/2	0.13
567	0.16
572	0.21
81/1	0.42
82/3	0.17
83/5	0.21
124/2	0.01
122	0.37
119	0.40
145/9	0.23
525	0.55
553/2	0.32
555/3	0.17
565	0.39
573	0.05
81/3	0.44
83/2	0.40
83/4	0.25
128/1	0.06
130	0.12
145/6	0.28
145/10	0.20
520	0.39
553/1	0.33
513/1	0.47
564	0.01
82/4	0.28
82/3	0.03
124/1	0.31
128/2	0.19
121	0.28
145/7	0.22
146/1	0.74
518	0.03
555/1	0.02
566	0.41
570	0.20
571	0.20
योग	11.85

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- सुतियापाट परियोजना के अंतर्गत संवलपुर माइनर/आर. बी. सी. निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 25 जुलाई 2006

क्रमांक 5602/भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
   (क) जिला-राजनांदगांव
   (ख) तहसील-छुईखदान
   (ग) नगर/ग्राम-संबलपुर, प. ह. नं.-11
   (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.70 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
1/1	0.26
27	0.20
1/18	0.15
1/6	0.32
26/1	0.60
22/5	0.15
1/7	0.22
25	0.22
1/8	0.06
1/17	0.52
योग	2.70

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- सुतियापाट परियोजना के अंतर्गत संबलपुर माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 25 जुलाई 2006

क्रमांक 5603/भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
   (क) जिला-राजनांदगांव
   (ख) तहसील-छुईखदान
   (ग) नगर/ग्राम-नेवासपुर, प. ह. नं.-11,
   (घ) लगभग क्षेत्रफल-12.95 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
3	0.24
60	0.11
46/7	0.06
58/5	0.23
53	0.39
89/6	0.20
142	0.38
162	0.02
152	0.65
7	0.80
12/1	0.24
17/2	0.14
21/4	0.38
7	0.38
10/4	0.05
58/2	0.07
58/3	0.06
54	0.02
89/8	0.02
143/1	0.50
159	0.02
140	0.02
8/1	0.82

(1)	(2)	(1)	(2)
12/3	0.24	141	0.16
18/1	0.27	163	0.56
4	0.32	153	0.49
59/1	0.59	12/4	0.24
58/4	0.17	17/1	0.14
55	0.25	20	0.13
89/4	0.18		
89/14	0.38	योग	12.95
164	0.54		
160	0.26		
12/2	0.24		
16	0.37		
19	0.27		
6	0.32		
59/2	0.38		
58/1	0.18		
52	0.26		
89/5	0.18		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- सुतियापाट परियोजना के अंतर्गत पेंडरवानी माइनर/आर. बी. सी. निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एस. विश्वकर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं सक्षम प्राधिकारी, घरघोड़ा, जिला-रायगढ़ (छ. ग.)

"प्ररूप घ"

(नियम 6 देखें)

रायगढ़, दिनांक 21 जुलाई 2006

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 12/अ-67/2005-06/ग्राम-तमनार एवं अन्य ग्राम.— राज्य सरकार को छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सक्षम प्राधिकारी घरघोड़ा की अधिसूचना प्र. क्र. 12/अ-67/05-06 ग्राम-तमनार एवं अन्य ग्राम दिनांक 28-04-06 के द्वारा उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में 1000 मेगावाट परियोजना के लिये ग्राम राबो, तहसील घरघोड़ा, जिला-रायगढ़ से ग्राम तमनार, तहसील घरघोड़ा, जिला रायगढ़ तक पानी परिवहन में जिंदल पावर लिमिटेड तमनार द्वारा भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिये अपने आशय की घोषणा की थी.

और उक्त अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 9 जून 2006 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना प्रकाशित कर इसकी सूचना भूमि स्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है, और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

और उक्त भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया है, और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

अतएव अब सक्षम प्राधिकारी एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाईप लाईन बिछाने के लिये भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है.

और एतद्द्वारा धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से पाईप लाईन बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगी.

जनमेजय महोबे,
सक्षम प्राधिकारी.

भूमिगत पाइप लाइन हेतु सर्वे सूची

ग्राम सलिहाभांठा, प. ह. नं. 32, रा. नि. मं. तमनार, तहसील घरघोड़ा, जिला रायगढ़

क्रमांक	भूमि स्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा (हे.)	अर्जित की जाने वाली भूमि (हे.)	भूमि की किस्म
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	कृपाराम रावत	530/4	0.490	0.101	खार
2.	भोलाराम रावत	530/1	1.416	0.028	खार
3.	भोलाराम रावत	530/602/1	0.097	0.008	खार
4.	मोतीराम कंवर	528/8	0.275	0.024	खार
5.	मनबोध कंवर	528/11	0.138	0.024	खार
6.	नानूराम कंवर	528/6	0.251	0.032	खार
7.	जगमोहन कंवर	528/7	0.121	0.028	खार
8.	प्रमो गोंड	526	0.231	0.024	खार
9.	कनीराम अघरिया	524/4	0.927	0.008	खार
10.	हरिराम अघरिया	520/6	1.100	0.110	खार
11.	चम्पा बाई रावत	520/2	0.178	0.045	खार
12.	रामप्रसाद रावत	520/7	0.324	0.028	खार
13.	हरिराम अघरिया	520/4	0.279	0.016	खार
14.	कृपाराम रावत	530/602/3	0.061	0.012	खार
	योग			**0.488**	

ग्राम बासनपाली, प. ह. नं. 37, रा. नि. मं. तमनार, तहसील घरघोड़ा, जिला रायगढ़

क्रमांक	भूमि स्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा (हे.)	अर्जित की जाने वाली भूमि (हे.)	भूमि की किस्म
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	पदमावती वगै. तेली	514/1	0.749	0.019	बहला
2.	भुकनंदन पि. पुरन तेली	510/1	0.061	0.035	बहला
3.	भुकनंदन तेली	509	0.409	0.012	टिकरा
4.	भुकनंदन उरांव	506/1	0.202	0.051	टिकरा
5.	महेश व. भुकनंदन उरांव	503/1	0.259	0.035	टिकरा
6.	ईश्वर प्रसाद तेली	500	0.207	0.035	बहला
7.	उमाशंकर	501	0.198	0.008	बहला
8.	गोकुल प्रसाद तेली	442/2	0.146	0.036	खार
9.	भजोराम तेली	442/3	0.15	0.024	खार
10.	खीरसिन्धु तेली	442/4	0.192	0.008	खार
11.	ईश्वर प्रसाद तेली	442/1	0.142	0.012	खार
12.	जगन्नाथ स्वामी	444/1	0.943	0.024	खार
13.	जगन्नाथ स्वामी	444/2	0.028	0.024	खार
14.	उसतराम गोंड	377/1, 348/1	3.456	0.163	बहला
15.	ललीत वगै. गोंड	350/3	1.214	0.096	बहला
16.	पुरूषोत्तम तेली	374/4	0.275	0.008	बहला
17.	रामप्रसाद बराई	350/15	0.142	0.022	बहला
18.	चैतराम पि. कृपासिन्धु तेली	362/5	0.119	0.019	बहला
19.	घसिया पि. कृपासिन्धु तेली	362/6	0.376	0.019	बहला
20.	घासीराम वगै. कुम्हार	366/1	0.113	0.036	खार
21.	संतराम कुम्हार	366/3	0.275	0.036	खार
22.	गंरवारी बाई कुम्हार	366/4	0.19	0.036	खार
23.	सुरजो कुम्हार	366/5	0.207	0.036	खार
24.	ललीत सिंह वगै. गोंड	282/1	0.145	0.024	खार
25.	गोरे लाल बराई	282/9	0.405	0.009	खार
26.	रामप्रसाद बराई	282/7	0.219	0.014	खार
27.	पालुराम वगै. गोंड	281	0.906	0.07	बहला
28.	मनधर उरांव तमनार	264/3	0.505	0.056	बहला
29.	सन्तोष अघरिया	273/1	0 205	0.008	बहला
30.	खीरसिन्धु तेली	272/4	0.243	0.044	बहला
31.	छविलो उर्फ रविनंदन	250/2	0.405	0.025	बहला
32.	सन्तोष अघरिया	250/3	0.15	0.025	खार
33.	घसीया वगै. गाडा	247/1	1.756	0.055	खार
34.	विनोदनी वगै. महती	246	0.676	0.051	खार
35.	पुरंजन अघरिया	244/1	0.567	0.051	खार

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
36.	रामप्रसाद व. घसीया रामलाल व. घसीया रावत सलिहाभांठा.	245/1	0.156	0.032	ख्रार
37.	रामप्रसाद व. घसीया रामलाल व. घसीया रावत सलिहाभांठा.	245/2	0.357	0.022	ख्रार
38.	सन्तोष अघरिया	265/1	0.304	0.040	बहला
39.	संर्दशन अघरिया	265/2	0.323	0.052	बहला
40.	गिरधारी अघरिया	265/3	0.202	0.052	बहला
41.	पद्मलोचन अघरिया	265/4	0.203	0.040	बहला
42.	सुर्दशन अघरिया	266/1	0.178	0.008	बहला
43.	सिन्धु तेली	374/2	0.109	0.008	बहला
44.	साहेब राम तेली	374/3	0.275	0.009	बहला
	योग			**1.479**	

ग्राम - तमनार, प. ह. नं. 38, तहसील घरघोड़ा, जिला रायगढ़

क्रमांक	भूमि स्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा (हे.)	अर्जित की जाने वाली भूमि (हे.)	भूमि की किस्म
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	खीरोबाई, धीरोबाई पि. जगतराम तेली.	453	0.227	0.032	ख्रार
2.	कमला वगै. जाति तेली	454/1	0.162	0.031	ख्रार
3.	व्रन्दावती जौ. ओमप्रकाश तेली	454/2	0.283	0.031	ख्रार
4.	परखीत वगै. जाति तेली	455	0.363	0.032	ख्रार
	योग			**0.126**	

ग्राम गोढी, प. ह. नं. 38, रा. नि. मं. तमनार, तहसील घरघोड़ा, जिला रायगढ़

क्रमांक	भूमि स्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा (हे.)	अर्जित की जाने वाली भूमि (हे.)	भूमि की किस्म
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	धनमेत बेवा कमलणर रावत	71	2.055	0.064	ख्रार
2.	गुणनिधी, कौशल देवांगन वगै.	128/1 क	1.703	0.056	ख्रार
3.	लिंगराज व. मंशी महती	129/2	0.284	0.082	ख्रार
4.	लिंगराज महती	130/1	0.025	0.014	टिकरा

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5.	कादरू व. चमरू	130/2	0.121	0.014	बहला
6.	मधुसुदन बानी	132/1	0.778	0.073	बहला
7.	मोहन लाल वगै. अघरिया	143	0.624	0.064	खार
8.	पद्मलोचन वगै. कंवर	144/1	0.477	0.024	खार
9.	लुया व. पीलाराम गोंड	144/2	0.587	0.008	खार
10.	मरियानुस पि. फ्रासीस वगै. उरांव	144/3	0.445	0.08	खार
11.	बड़खदाई वगै. गोंड	152/1	1.786	0.028	टिकरा
12.	मधुसुदन बानी	154	0.328	0.016	खार
13.	खेमसिंह गोंड	155	0.368	0.041	खार
14.	खेमसिंह गोंड	163/1	1.115	0.128	बहला
15.	मोहन लाल वगै. अघरिया	165/1, 166/2	2.445		
			0.040	0.147	बहला
16.	निलाम्बर व. पिलाउ गोंड	221	0.219	0.032	खार
17.	बीना, लेढा मदन, सदन, पि. श्यामसुन्दर गोंड.	222	0.417	0.057	खार
18.	जगन्नाथ स्वामी के जरफ से सुरेशदास वगै. बाबा.	225	0.845	0.044	खार
19.	चन्द्रभान सिंह गोंड	228	0.21	0.028	खार
20.	सगुना बाई वगै. गोंड	230	0.169	0.035	बहला
21.	कपिल कुंवर जौ. लक्ष्मण वगै. गाडा	231	0.393	0.044	बहला
22.	चन्द्रभान सिंह गोंड	235/2, 235/3	0.004		
			0.004		
		260	0.231	0.012	टिकरा
23.	चन्द्रभान सिंह गोंड	217	1.157	0.025	खार
24.	लखन वगै. महती	217/630	0.166	0.031	खार
25.	चंदन वगै. नाई	240	0.271	0.083	खार
26.	सगुना बाई वगै. गोंड	241/1 क	0.231	0.017	खार
27.	उत्तराबाई वगै. गोंड	241/1 ख	0.073	0.017	खार
28.	जयपाल वगै. महती	243	0.267	0.60	बहला
29.	जयपाल वगै. महती	244	0.413	0.016	बहला
30.	बडखदाई वगै. गोंड	245/1	0.376	0.086	बहला
	योग			1.426	

ग्राम आमाघाट, प. ह. नं. 37, रा. नि. मं. तमनार, तहसील घरघोड़ा, जिला रायगढ़

क्रमांक	भूमि.स्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा (हे.)	अर्जित की जाने वाली भूमि (हे.)	भूमि की किस्म
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	आनन्दराम/गोविन्द वगै. कंवर	24/3	0.243	0.034	टिकरा
2.	सुकमति बेवा तिलेराम वगै. कंवर	24/5	0.223	0.006	टिकरा
3.	दिलसाय/आशाराम वगै. कंवर	24/4	0.223	0.044	टिकरा
4.	लक्ष्मण वगै. कंवर	36	0.239	0.051	टिकरा
5.	अमल सिंह/मायाराम वगै. कंवर	37	0.34	0.064	टिकरा
6.	महेत्तर वगै. कंवर	38	0.17	0.038	टिकरा
7.	चैतराम वगै. कंवर	41	0.721	0.089	टिकरा
8.	आनन्दराम वगै. कंवर	47/4	0.247	0.004	टिकरा
9.	करम सिंह वगै. कंवर	56	0.259	0.008	टिकरा
10.	सहदेव कंवर	57	0.202	0.006	टिकरा
11.	अमल सिंह वगै. कंवर	58	0.308	0.008	टिकरा
12.	सहदेव कंवर	59	0.486	0.012	टिकरा
13.	चैतराम वगै. कंवर	60	0.364	0.016	टिकरा
14.	नन्हू राम वगै. कंवर	61	0.364	0.016	टिकरा
15.	महेत्तर वगै. कंवर	62	0.364	0.016	टिकरा
16.	भोकलो व. जलसाय वगै. गोंड	80/1	4.548	0.614	टिकरा
17.	चैतराम व. बुडगा गोंड	80/2	0.146	0.032	टिकरा
18.	तेजराम व. कालाचन्द गाडा	84	0.624	0.048	खार
19.	संतराम व. हरिचन्द्र गाडा	85	0.534	0.041	खार
20.	चैतराम वगै. कंवर	94	0.449	0.044	बहला
21.	अमलसिंह वगै. कंवर	95	0.316	0.038	बहला
22.	रामेश्वर कंवर	96/6	0.255	0.064	बहला
23.	नन्हू राम वगै. कंवर	101	0.251	0.038	खार
24.	गुरवारू वगै. कंवर	103/1	0.049	0.012	खार
25.	बुधवारो कंवर	103/2	0.219	0.01	खार
26.	घसनो वगै. कंवर	103/5	0.332	0.038	खार
27.	गुरवारू वगै. कंवर	103/6	0.295	0.064	खार
28.	बैंगा व. सलगु केवट	356	1.06	0.115	टिकरा
29.	लक्ष्मण कंवर	357/1	0.698	0.065	टिकरा
30.	पुष्पा/एस. एस. एक्का	357/2	0.698	0.065	टिकरा
31.	सुरेन्द्र सिंह वगै. सिक्ख	358	0.737	0.030	टिकरा
32.	चमरीन वगै. उरांव	359/1	1.712	0.067	टिकरा
33.	घासी वगै. उरांव	359/2	1.711	0.067	टिकरा
34.	मोहन/गाडाराय वगै. उरांव	361/1	0.202	0.006	टिकरा
35.	नीरजन श्रीराम वगै. ब्राम्हण	365/3	0.405	0.043	टिकरा
36.	मनबोध वगै. कवंर	369	0.299	0.021	खार
37.	हीरालाल उरांव	370	0.352	0.016	खार
38.	घासी वगै. उरांव	371/3	0.113	0.016	खार

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
39.	राजू वगै. उरांव	372	0.271	0.032	खार
40.	मोहन/गाडाराय वगै. उरांव	373/1	0.125	0.010	खार
41.	महेत्तर व. चमरा	373/6	0.04	0.010	खार
42.	मनबोध वगै. कंवर	374/1	6.03	0.110	खार
43.	करम सिंह वगै. कंवर	374/2	0.032	0.012	खार
44.	धनसाय वगै. कंवर	403	0.511	0.034	खार
45.	जुलिया वगै. कंवर	405/1	0.424	0.051	खार
46.	लम्वरसाय उरांव	405/2	0.393	0.041	खार
47.	इन्द्रपाल वगै. कंवर	406	0.571	0.112	खार
48.	मनबोध वगै. कंवर	407	0.417	0.067	खार
49.	कमला वगै. उरांव	408/1	0.062	0.006	खार
50.	सोहन व. गाडाराय उरांव	408/2	0.041	0.006	खार
51.	सोहन व. गाडाराय उरांव	408/3	0.093	0.008	खार
52.	कमला वगै. उरांव	408/7	0.032	0.012	खार
53.	सुखू वगै. उरांव	410/5	0.235	0.029	खार
54.	रविराम वगै. उरांव	410/6	0.263	0.019	खार
55.	राजू वगै. उरांव	414/4	0.713	0.016	बहला
56.	इन्द्रपाल वगै. कोल्ता	415	0.405	0.073	बहला
57.	घुराउ वगै. गाडा	482/2	0.688	0.108	खार टिकरा
58.	सुरेन्द्र सिंह वगै. सिक्ख	486/2	0.433	0.035	टिकरा
59.	इन्द्रपाल वगै. कोल्ता	496/2	9.163	0.172	टिकरा
	योग			2.929	

ग्राम पडकीपहरी, प. ह. नं. 34, तहसील घरघोड़ा, जिला रायगढ़

क्रमांक	भूमि स्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा (हे.)	अर्जित की जाने वाली भूमि (हे.)	भूमि की किस्म
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	सदानंद तेली	73/2	0.315	0.008	बहला रवि
2.	चीनीराम वगै. तेली	73/3	0.157	0.004	बहला रवि
3.	दरसराम तेली	73/5	0.101	0.004	बहला रवि
4.	दरसराम तेली	73/6	0.158	0.004	बहला रवि
5.	नान्हू तेली	73/7	0.202	0.004	बहला रवि
6.	नान्हू तेली	73/8	0.157	0.004	बहला रवि
7.	सुनाउ तेली	73/9	0.101	0.008	बहला रवि
8.	ननकी मेली	73/11	0.101	0.008	बहला रवि
9.	चुन्नी जौ. हरिलाल कोष्टा रायगढ़	74/2	0.89	0.024	बहला रवि

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10.	मानसिंह वगै. कंवर	75/2	0.379	0.028	बहला रवि
11.	सिदार वगै. गोंड	75/3	0.379	0.016	बहला रवि
12.	संतराम, अन्नतराम पि. मानसिंह	109	2.833	0.016	टिकरा
13.	करम सिंह पि. अन्नतराम वगै. झिगोल	110	0.534	0.016	टिकरा
	योग			**0.144**	

ग्राम सामारूमा, प. ह. नं. 34, तहसील घरघोड़ा, जिला रायगढ़

क्रमांक	भूमि स्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा (हे.)	अर्जित की जाने वाली भूमि (हे.)	भूमि की किस्म
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	उषा टेकरी वाल सा. राची	14/5	2.023	0.130	टिकरा
2.	श्रीमती काना टकरी वाल जौ. प्रकाश अग्रवाल राची.	14/6	2.023	0.077	टिकरा
3.	सत्यभांमा जेमा पुत्री श्याम कुमार वगै. रावत.	16/1	2.865	0.069	टिकरा
4.	मनोज कुमार पिता हरिराम मडवाडी	16/6	2.631	0.109	टिकरा
5.	राजू गुप्ता पि. रामकिशन सा. रायगढ़	49	4.504	0.162	टिकरा
6.	रूपेश्वर वगै. कोल्ता	111/2	2.141	0.065	बहला रवि
7.	हरिराम पि. सत्यनारायण अग्रवाल	111/4	7.280	0.093	टिकरा
8.	बुधराम पि. जगतराम कंवर पडकीपहरी	111/21	2.019	0.089	टिकरा
9.	बन्धन व. समारू मांझी पडकीपहरी	111/22	1.619	0.125	टिकरा
10.	पुरन व. पकलू भैना पडकीपहरी	111/26	1.619	0.097	टिकरा
11.	बुढलू व. दीबु भैना पडकीपहरी	111/27	1.619	0.089	टिकरा
12.	सनिराम पि. सुखीराम वगै. गाडा	111/24	1.619	0.020	टिकरा
13.	प्ररूपोतम दास व. सरजू प्रधान	103/2	7.021	0.065	टिकरा
14.	सामुएल व. लण्डी	111/14	2.424	0.117	टिकरा
	योग			**1.307**	

ग्राम पूंजीपथरा, प. ह. नं. 34, तहसील घरघोड़ा, जिला रायगढ़

क्रमांक	भूमि स्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा (हे.)	अर्जित की जाने वाली भूमि (हे.)	भूमि की किस्म
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	पिललाल पि. चन्दन सिंह गोंड	40	2.019	0.024	टिकरा
2.	गोपाल व. तिलकराम गाडा	47	2.019	0.085	टिकरा
3.	निशांत सिंह व. कमरिसा गोंड	48	2.019	0.101	टिकरा
4.	ननकू व. उजल सिंह गोंड	49	2.019	0.053	टिकरा
	योग			**0.263**	

ग्राम तुमीडीह, प. ह. नं. 21, तहसील घरघोड़ा, जिला रायगढ़

क्रमांक	भूमि स्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा (हे.)	अर्जित की जाने वाली भूमि (हे.)	भूमि की किस्म
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	महादेव	18/11	1.21	0.032	टिकरा
2.	पंचराम	18/12	0.74	0.035	टिकरा
3.	विसाहू वगै.	18/13	0.202	0.016	टिकरा
4.	दिलबोध	18/14	0.202	0.016	टिकरा
5.	पंचराम	18/15	0.38	0.019	टिकरा
6.	महादेव	18/16	0.445	0.012	टिकरा
7.	आनंद सिंह वगै. मांझी	19/1	0.676	0.025	खार
8.	जागरो मांझी	19/2	0.338	0.025	खार
9.	अनेश राम व. साधुराम वगै. मांझी	21	1.466	0.038	खार
10.	बडाईक व. बनाउ मांझी	22/1	0.229	0.022	खार
11.	अमुना वगै. मांझी	22/2	0.136	0.016	खार
12.	बडाईक मांझी	22/4	0.108	0.022	खार
13.	कृष्णचन्द वगै. कोल्ता	109/1	1.821	0.144	टिकरा
14.	वैष्टम प्रसाद कोल्ता	111/3	0.77	0.064	टिकरा
15.	परखित वगै. कोल्ता	112/1	0.805	0.004	टिकरा
16.	मुरली वगै. कोल्ता	114/1	1.53	0.105	टिकरा
17.	जगचरण वगै. कोल्ता	115/1	3.092	0.096	टिकरा
18.	मुरली वगै. कोल्ता	116/1	4.843	0.008	टिकरा
19.	अनिल व गोविन्द राम अग्रवाल	124/1	0.829	0.008	टिकरा
20.	प्रेम सिंह वगै. गोंड	125	1.559	0.145	टिकरा
21.	नलवा स्पंज आयरन तराईमाल	126/1	1.091	0.008	टिकरा
	योग			**0.860**	

ग्राम छर्राटांगर, प. ह. नं. 21, तहसील घरघोड़ा, जिला रायगढ़

क्रमांक	भूमि स्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा (हे.)	अर्जित की जाने वाली भूमि (हे.)	भूमि की किस्म
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	लेटराम वगै. कंवर	834/2	1.275	0.240	टिकरा
2.	कन्हैया लाल वगै. कंवर	836/4	3.456	0.109	टिकरा
3.	मुन्ना वगै. कंवर	929/11	0.446	0.028	टिकरा
4.	ठाकुर राम वगै. कंवर	940	0.632	0.032	खार
5.	बसतराम वगै. कंवर	941/1	0.247	0.011	खार
6.	सेतराम वगै. कंवर	941/2	0.186	0.011	खार
		948/1	0.607	0.022	खार
		949/1	0.49	0.006	खार
7.	रामचरण वगै. कंवर	948/2	0.413	0.032	खार
		949/2	0.134	0.006	खार
8.	ठाकुर राम व. भजराम कंवर	946	0.849	0.080	खार
		1168	1.615	0.173	खार
9.	बेदराम कंवर	1178/4	0.121	0.010	खार
10.	कन्हैया लाल वगै. कंवर	1178/3	0.097	0.048	खार
11.	सनकुंवर वगै. कंवर	1178/1	0.312	0.048	खार
12.	लक्ष्मी कंवर	1178/2	0.154	0.030	खार
13.	कन्हैया लाल वगै. कंवर	1178/5	0.38	0.064	खार
14.	भाकू लाल वगै. कंवर	1178/6	0.172	0.051	खार
15.	कन्हैया लाल वगै. कंवर	1196/6	0.057	0.048	खार
16.	प्यारी वगै. कंवर	1196/3	0.777	0.035	खार
17.	पण्डरू वगै. कंवर	1196/2	0.409	0.096	खार
18.	सनकुंवर वगै. कंवर	1196/1	1.659	0.092	खार
19.	ईश्वर वगै. कंवर	1204/1	0.243	0.016	खार
20.	टाकुर राम वगै. कंवर	1203	0.336	0.072	खार
21.	बलराम वगै. बंजारा	1200	0.117	0.016	खार
22.	त्रिलोचन वगै. कंवर	1198	0.462	0.028	खार
23.	वलराम व. रामेश्वर वगै. कंवर	1144	0.19	0.008	खार
24.	खूलो वगै. कंवर	1135/2	0.833	0.040	खार
25.	त्रिलोचन गोंड	1135/3	0.364	0.040	खार
26.	सनिरो वगै. कंवर	1136	0.194	0.029	बहला रवि
27.	सुमित राम कंवर	1129	0.117	0.016	बहला रवि
28.	जुडान सिंह वगै. कंवर	1096/3	0.331	0.048	खार
		1094/4	3.013	0.068	खार
29.	हरिहर कंवर	1094/14	0.769	0.057	खार
30.	नेहरू लाल व. रेतराम मांझी	1094/12	0.144	0.026	खार
31.	रामप्रसाद व. ठिनी कंवर	1094/7	0.283	0.032	खार
32.	खूलो वगै. कंवर	1094/8	0.121	0.016	खार
33.	खूलो वगै. कवंर	1086/6	0.672	0.089	खार

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
34.	जुडान सिंह वगै. कंवर	1094/2	2.363	0.112	खार
35.	भगतराम कंवर	1128	0.137	0.044	बहरा, रवि
	योग			2.029	

ग्राम डोकरबुडा, प. ह. नं. 21, तहसील घरघोड़ा, जिला रायगढ़

क्रमांक	भूमि स्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा (हे.)	अर्जित की जाने वाली भूमि (हे.)	भूमि की किस्म
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	कन्हैया लाल वगै. कंवर	191	0.324	0.016	टिकरा
2.	रामलाल वगै. कंवर	192	1.461	0.064	टिकरा
3.	लीलाराम वगै. कंवर	196/1	1.402	0.086	टिकरा
4.	भोगीलाल वगै. कंवर	196/2	0.534	0.038	टिकरा
5.	फूलसिंह कंवर	196/4	0.405	0.039	टिकरा
6.	गोपी कंवर	196/5	2.65	0.080	टिकरा
7.	राधेश्याम व. शंकरलाल वगै. अग्रवाल रायगढ.	197/1	1.135	0.080	टिकरा
8.	हलधर वगै. कंवर	201/1	0.826	0.036	टिकरा
9.	कन्हैया लाल वगै. कंवर	201/2	0.829	0.040	टिकरा
10.	ललित कुमार वगै. कंवर	201/3	0.829	0.052	टिकरा
11.	संजय कुमार पि. मागेलाल अग्रवाल	202	2.407	0.117	टिकरा
12.	गोपी कंवर	196/6	0.404	0.032	खार
13.	चक्रधर वगै. कंवर	217	6.454	0.198	टिकरा
14.	हलधर वगै. कंवर	231/1	1.712	0.076	टिकरा
15.	ललित कुमार वगै. कंवर	231/2	1.712	0.080	टिकरा
16.	कान्ताबाई पति लखीराम सिधि	233/2	2.616	0.070	टिकरा
17.	अशोक वगै. अग्रवाल	233/3	0.603	0.041	टिकरा
18.	लखीराम व. नचनमल सिधि	233/4	0.602	0.044	टिकरा
19.	लखीराम व. नचनमल सिधि	233/5	0.405	0.048	टिकरा
20.	लखीराम व. नचनमल सिधि	233/6	0.197	0.016	टिकरा
21.	सुधनी बाई वगै. कंवर	238	0.259	0.032	बहरा
22.	रामदास पनिका	239/1	0.263	0.004	टिकरा
23.	सुखदास वगै. पनिका	203	5.813	0.141	टिकरा
24.	श्रीकृष्ण व. लक्ष्मीनारायण	204/2	1.412	0.052	टिकरा
25.	विजय कुमार, रामकुमार पि. नेनीराम ब्रामहण.	199/1	1.626	0.027	टिकरा

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
26.	रामचन्द्र अग्रवाल	199/2	0.405	0.027	टिकरा
27.	रामप्रसाद व. लखीराम अग्रवाल खरसिया.	199/4	0.405	0.027	टिकरा
28.	बजरंगलाल पि. देवलाल अग्रवाल रायगढ.	199/5	0.857	0.027	टिकरा
	योग			1.590	

ग्राम राबो, प. ह. नं. 34, रा. नि. मं. तमनार, तहसील घरघोड़ा, जिला रायगढ़

क्रमांक	भूमि स्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा (हे.)	अर्जित की जाने वाली भूमि (हे.)	भूमि की किस्म
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	लक्ष्मण पि. चन्दन सिंह	40/6	0.907	0.061	टिकरा
2.	भारत लाल पिं. घासी लाल	40/1	6.730	0.190	टिकरा
3.	चन्द्रिका प्रसाद घसिया	140/2	1.554	0.125	टिकरा
4.	आसप कुमार	144/1	1.554	0.061	टिकरा
5.	आसप कुमार	144/2	1.555	0.061	टिकरा
6.	महेश राम कंवर	145/1	1.555	0.045	टिकरा
7.	महेश राम कंवर	145/2	1.556	0.030	टिकरा
8.	सुखराम कंवर	145/3	1.534	0.030	टिकरा
	योग			0.603	